कार्यालय मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र, इन्दौर
दूरभाष 0731–2541498 फेक्स 0731–2536575
Email:cephedind@nic.in, cephedind@gmail.com

क्रमांक 5406 /तक./मु.अ./लोस्वायांवि/2024 इन्दौर, दिनांक 13.9.2024

प्रति,

जियो रिर्सच हाउस एलएलपी
145,प्रहारी टेकरी,राहुल नगर
बिचोली मर्दाना,बायपास रोड
इन्दौर–452016

विषय :– विभागीय निर्माण योजनाओं में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेट, आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2017 के तहत सूचीबद्ध करने के संबंध में

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक GRH/Lab/Indore/24-25/01 दिनांक 30.08.2024

.........00........

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रस्तुत आवेदन एवं एन.ए.बी.एल. द्वारा सर्टिफिकेट क्रमांक TC-10770 दिनांक 01.07.2024 से आपके पक्ष में जारी एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन (सर्टिफिकेट की वैद्यता दिनांक 30.06.2026 तक नियत) के आधार पर कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र, इन्दौर के अधिनस्थ विभागीय कार्यालयों के अंतर्गत विभागीय निर्माण योजनाओं में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु निम्न शर्तों के अधीन सूचीबद्ध किया जाता है :–

1. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का परीक्षण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित मानकों एवं एन.ए.बी.एल. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित मानकों के अनुसार संपादित किया जाना होगा । सामग्री परीक्षण पर होने वाले व्यय का समायोजन, नियमानुसार कार्य से संबंधित ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा ।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 198/अराज/स्था/प्र.अ./भोपाल दिनांक 02.09.2021 तथा आदेश क्रमांक 204/अराज/स्था/प्र.अ./भोपाल दिनांक 03.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
3. प्रयोगशाला में परीक्षण कार्य शर्तों के अनुसार ही संपादित किया जावे । शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रयोगशाला को तत्काल सूची से पृथक किया जाकर निलंबन अथवा ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी ।
4. सूचीबद्धता की वैद्यता पत्र जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि अर्थात **दिनांक 13.09.2025** तक रहेगी ।

संलग्नः–1.एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन
2.एन.ए.बी.एल. स्कोप आफ एक्रीडिएशन

मुख्य अभियंता

पृ. कमांक 5407 /तक./मु.अ./लोस्वायांवि/2024 इन्दौर, दिनांक 13.9.2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके आदेश कमांक 198/अराज/स्था/प्र.अ./भोपाल दिनांक 02.09.2021 तथा आदेश कमांक 204/अराज/स्था/प्र.अ./भोपाल दिनांक 03.09.2021 के निरंतर में कृपया सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल इन्दौर, खरगौन एवं उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । फर्म की सूचीबद्धता की वैद्यता सूचीबद्धता की वैद्यता पत्र जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक अवधि अर्थात **दिनांक 13.09.2025** तक रहेगी । इसके उपरांत नियमानुसार नवीनीकरण के उपरांत ही फर्म के कार्य स्वीकार किय जाएं ।

4. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड इन्दौर, धार, सरदारपुर, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, देवास, शाजापुर एवं आगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। फर्म की सूचीबद्धता की वैद्यता सूचीबद्धता की वैद्यता पत्र जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि अर्थात **दिनांक 13.09.2025** तक रहेगी । इसके उपरांत नियमानुसार नवीनीकरण के उपरांत ही फर्म के कार्य स्वीकार किय जाएं ।

संलग्नः–1.एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेट आफ एकीडिएशन
2.एन.ए.बी.एल. स्कोप ऑफ एकीडिएशन

मुख्य अभियंता